

झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिकासंख्या1710/2023

- 1.राजेन्द्र मिश्रा, उम्र- लगभग 80 वर्ष, पिता- स्वर्गीय रमेश्वर मिश्रा;
2. बिनोद कुमार मिश्रा उर्फ बिनोद मिश्रा, उम्र- लगभग 55 वर्ष, पिता- राजेन्द्र मिश्रा
3. प्रमोद मिश्रा उर्फ प्रमोद कुमार मिश्रा, उम्र- लगभग 50 वर्ष, पिता- राजेन्द्र मिश्रा;
4. सुनील कुमार मिश्रा, उम्र-लगभग 46 वर्ष, पिता- श्री बिरेन्द्र मिश्रा;

सभी आदि-गोपालपुर, डाकघर एवं थाना- बछुआ, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार के निवासी

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य

2. श्रीमती नूतन मिश्रा, पति - श्री सुनील कुमार मिश्रा, पिता- श्री बशिष्ठ नारायण तिवारी, क्वार्टर नं.121/एल5, उलियन लूप कदमा मार्केट के पास, डाकघर एवं थाना कदमा, शहर जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम की निवासी, वर्तमान में डी 71, खुंटादीह, सोनारी, डाकघर एवं थाना सोनारी, शहर जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम;

विपक्षी पक्ष

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री राज किशोर साहू, अधिवक्ता

श्री बिरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री विनीत कुमार वशिष्ठ, विशेष लोक अभियोजक

विपक्षी संख्या 2 के लिए : श्री पी.एस. बाजाज, अधिवक्ता

श्री सौरव कुमार, अधिवक्ता

श्री विकास कुमार, अधिवक्ता.

उपस्थित

## माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत है, जिसमें 29.01.2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा शिकायत मामले संख्या 1920/2011 में पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अपनी सभी प्रार्थनाओं का परित्याग करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में संशोधन करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि इस मामले में शामिल अपराध भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 498 ए और 406 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धाराएँ 3/4 के तहत दंडनीय हैं; याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का वचन देते हैं और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाए कि वे उनकी ओर से पुनः दाखिल की जाने वाली जमानत आवेदन के मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाएं। याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सूचनाकर्ता से संबंधित हैं और कुछ गलतफहमी के कारण वे आरोप तय करने की तारीख पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, और वे न्यायालय में 22.02.2024 को उपस्थित होने का वचन देते हैं, जिस तारीख को शिकायत मामला संख्या 1920 /2011 अगली बार तय किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चारों याचिकाकर्ता मामले के आरोपी हैं और वे आरोप तय करने की सुनवाई में सहयोग करने का वचन देते हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोप तय करने पर विचार करते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर को याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाए।

4. मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह आपराधिक विविध याचिका इस आशय के निदेश के साथ निपटाई जाती है कि याचिकाकर्ताओं को 22.02.2024 को सुबह 10:30 बजे सटीक समय पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा और यदि वे ऐसा करते हैं, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर को उसी दिन आरोप तय करने पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है और विचार करने के बाद, यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किया जाता है, तो याचिकाकर्ता नियमित जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं और यदि आरोप तय होने के बाद ऐसी नियमित जमानत की प्रार्थना आवश्यक है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर इसपर कानून के अनुसार विचार करेंगे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 29.01.2020 को पारित आदेश से पूर्व जमानत पर थे।

5. इस प्रकार, यह आपराधिक विविध याचिका निपटाई जाती है।

(न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्चन्यायालय, रांची  
दिनांक 24 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।